राजस्थान राज्य

बनाम

नाना और अन्य

अगस्त 2, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी.पी. नॉलेकर जे.जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 304 भाग ।। सपठित धारा 34-हत्या-तीन अभियुक्तों द्वारा अन्य लोगों के साथ घटना के प्रत्यक्ष साक्षीगण को घायल-धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत निचली अदालत द्वारा दोषसिद्वि-उच्च न्यायालय ने दो अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया कि चश्मदीद गवाहो का बयान एफआइआर मे दिये गये बयान के विपरीत था। और अभियुक्तो में से एक की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग।।/34 के तहत एक में बदलना अपील पर अभिनिर्धारित किया गया। अभियुक्त बी को बरी करना न्यायोचित नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने वाले को छोडकर सभी चश्मदीद गवाहों ने उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था। प्राथिमिकी में विरोधाभासी संस्करण का उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। अभियुक्त एस को सही ढ़ग से बरी कर दिया था। अभियुक्त एन की दोषसिद्वि को सही ढ़ग से धारा 304 भाग ।।/34 में बदल दिया गया था।

साक्ष्य गवाहों की विरोधाभासी साक्ष्य एफआईआर के संस्करण से विरोधाभास का प्रभाव अन्य गवाहो की विश्वसनीयता पर यह निर्धारित किया गया कि जहां तक एफआईआर बनाने वाले का संबध है एफआईआर मे बयान प्रासंगिक है इसका अन्य गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नही पडता एफआईआर ।

उत्तरदाता अभियुक्त एन बी और एस पर दण्डनीय अपराधो के लिए आरोप लगाया गया था। वह 302/34, 302/149, 324/149, 325/149 और 323/149 आईपीसी है। जो व्यक्ति मृत की मृत्यू और पी डब्लू 1, 2, 3 और 9 को चोट पहुचाने के लिए है। पी डब्लू 1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे और जांच के दोरान अपने बयान में कहा कि आरोपी एस ओर एन ने मृतक पर हमला किया था। लेकिन परीक्षण के दोरान पी डब्लू 1 के रूप में साथ ही पी डब्लू 2 और 3 ने कहा कि आरोपी बी ओर एन ने मृतक पर हमला किया था। ट्रायल कोर्ट ने घायल गवाहों यानी पी डब्लू 1,2,3 और 9 के बयानो के तहत प्रतिवादीयों अभियुक्त गण को दोषी ठहराया और आरोपित अपराधों के लिए अपील मे, उच्च न्यायालय ने एफआईआर के संस्करण से पी डब्लूस के बयानों के विरोधाभास को देखते हुए, आरोपी बी और एस को सभी आरोपों से बरी कर दिया और आरोपी एन की दोषसिद्धि को 302/34 आईपीसी से बदल कर 304/34 आईपीसी कर दिया। चूकि आरोपी एन पहले से लगभग 6 सालों से हिरासत मे था, इसलिए उच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई का निर्दोष दिया। जहां तक अभियुक्त बी का

संबध है, आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी जाते हुए ओर जहां तक अभियुक्त एस ओर एन का संबध है, अपील को खारिज करते हुए न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया।

जहां तक अभियुक्त बी द्वारा हमले का संबंध है चक्षुदर्शी साक्ष्य पीडब्लू 2, 3 व 9 की साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है। तीखी प्रतिरक्षा के बावजूद इन सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से बी की भूमिका का वर्णन किया है और स्वीकार किया है कि उसने मृतक पर हमला किया था। उच्च न्यायालय सही था कि प्राथमिकी में और जांच के दौरान पीडब्लू 1 ने कहा था कि एन और एस ने मृतक पर हमला किया था। एफआईआर में दिया गया बयान एक ऐसा कारक है जो एफआईआर कराने वाले के बयानों के संबंध में प्रासंगिक है। इसका अन्य गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं जिन्होंने सभी चरणों में अभियुक्त बी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए न्यायालय में पीडब्लू 1 के बयान और एफआईआर में उसके बयान का संबंध है, उसके संस्करण में कुछ अंतर था जो किसी भी तरह से पीडब्लू 2 और 3 के विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए उच्च न्यायालय का अभियुक्त बी को बरी करने का निर्देश सही नही था। अभियुक्त बी के बरी होने के निर्देश को दरकिनार कर दिया जाता है और उसे आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय

अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। उसकी अभिरक्षा की सजा सात साल होगी। (पैरा 7 और 8) (774 एफ जी एच 775 ए,बी,सी)

2. जहां तक अभियुक्त एस की भूमिका का संबंध है कोई भी गवाह नहीं है जिन्होंने उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में कुछ भी कहा था। ऐसा होने पर उसका बरी होना क्रम में है। (पैरा 7 775 ए)

3. अभियुक्त एन के मामले में उच्च न्यायालय ने विस्तृत कारणों का संकेत दिया है इसके अनुसार आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत अपराध दंडनीय क्यों था। हस्तक्षेप के लिए बताए गए कारणों में कोई कमजोरी नहीं है। उसकी हिरासत लगभग 6 साल की थी। उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का सही निर्देश दिया था।

(पेरा 7 ओर 8) (775 बी सी)

अपराधिक अपील का न्याय निर्णय अपराधिक अपील सं. 817/2002

उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के अपराधिक जेल अपील न. 469/1997 में निर्णय और आदेश 23.08.2001 से।

अपीलार्थी की ओर से नवीन कुमार और अरूणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय के निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. राजस्थान राज्य इसके खिलाफ अपील कर रहा है। जोधपुर में राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने प्रतिवादी सावा और बडा को भारतीय दण्ड सहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 304 भाग ।। से अभियुक्त प्रतिवादी नाना की दोषसिद्‌वि में बदलाव करते हुए बरी करने का निर्देश दिया। 1995 के सत्र मामले में विद्‌वान अति. सत्र न्यायाधीश सं0 1, उदयपुर ने आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित आईपीसी की धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए प्रत्येक प्रतिवादी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और प्रत्येक को आईडी 100 के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रतिवादी सावा को आईपीसी की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। पहले अपराध के लिए उन्हे आजीवन कारावास और रूपये 100 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी बाद के अपराध के लिए आरोपी प्रतिवादी सावा को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। दो अन्य सह अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है

12 और 13 मई 1995 के दरम्यानी रात को लगभग आधे बजे 12 अभियुक्त प्रतिवादी ओर सह अभियुक्त सुंदरा और रेशमा गांव के मेले में घूम रहे थे जहां वे दीता (जिसे इसके बाद मृतक कहा जाता है।), जेना (पी

डब्लू 2), नरसा (पी डब्लू 3), उदा (पी डब्लू 5), और सोमा (पी डब्लू 9) से मिलें। अभियुक्त उत्तरदाताओ के साथ अन्य 10 12 व्यक्ति भी थे सावा और नाना चाकू से लेस थें और बाकी के हाथो में पत्थर थे। अभियुक्त लोग देवलचोरा की ओर से आये थे। शिकायत कर्ता पक्ष ने जैसे ही उन्हे देखा, वे मेरपुर रोड की ओर भागे, जिस पर बडा, सुंदरा और रेशमा ने उन पर पत्थर फेंके। जिससे वे जैना व सोमा घायल हो गये और गिर गये। मृतक व नरसा पी डब्लू 3 को अभियुक्तगणो ने पकड लिया। अभियुक्तगण सावा और नाना ने चाकू से देता की पीठ पर वार किया जिससे खून आने लगे इस बीच नरसा (पी डब्लू 3) मेले की ओर भाग गया और बडा और सुंदरा ने उसका पीछा किया और उसे घायल कर दिया। चाकू से चोट लगने से वह खून से लथपथ नीचे गिर गया। दीता की मौत हो गयी और नरसा बेहोश हो गई।

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप मे एफआईआर) धन्ना (पी डब्लू 1) द्वारा 13.05.1995 पर 12..45 ए.एम. पर दर्ज किया गया। सामान्य जांच के बाद 5 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और अपराधों के लिए निचली अदालत में आईपीसी की धाराओं 302/34, 302/149, 324/149, 325/149, 323/149 के तहत दण्डनीय अपराध में चालान किया गया। दोषी नही होने का अनुरोध करने और मुकदमें का दावा करने पर अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों और 28 दस्तावेजो का प्रदर्शन किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दिए गए बयानों में (संक्षेप

में सीआरपीसी) अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने खिलाफ पेश होने वाले सभी आपत्तिजनक सबूतों से इंकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया। बचाव के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके बाद विद्वान निचली अदालत ने अभियुक्त प्रतिवादियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि ऊपर बताया गया है।

3. निचली अदालत ने घायल गवाहों पी. उब्ल्यू 1 से 3 व 9 के दिए गए बयानो पर भरोसा किया और दोषसिद्धि की गई तथा सजा दी गई जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। अभियुक्त प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिकी और जांच के दौरान दिए गए बयान में पीडब्लू 1 ने कहा था कि आरोपी नाना और सावा ने मृतक पर हमला किया। लेकिन मुकदमे के दौरान हमला नाना और बडा ने किया था। इसी तरह के प्रभाव के लिए पी डब्लू 2 और 3 का प्रमाण था।

4. ऊपर की स्थिति के आधार पर अभियोजन पक्ष के संस्करण का कमजोर होने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए हिरासत में रखे गए सभी अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया, लेकिन जहां तक नाना का संबंध है, उनकी दोषसिद्धि और आईपीसी की धारा 302 के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत दी गई

सजा को रद्द कर दिया गया। इसके बजाय उन्हें आईपीसी की धारा 304 के साथ आईपीसी की धारा 34 भाग ।। के तहत दोषी ठहराया गया था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनदेखी की है कि सभी चश्मदीद गवाह पीडब्लू 2,3 और 9 के साथ पीडब्लू 1 द्वारा कहा गया है कि मृतक की पीठ पर हमला नाना और बडा ने किया था। उच्च न्यायालय को उन्हे बरी करने का निर्देश नही देना चाहिए था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता हे कि जहां तक आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषसिद्वि का संबध है कोई दुर्बलता नही थी क्योंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया था।

6. नोटिस की सेवा के बावजूद प्रतिवादी की उपस्थिति नहीं है।

7. हम पाते है कि पीडब्लू 2,3 और 9 चश्मदीद गवाहों को जहा तक अभियुक्त बडा द्वारा हमले का संबंध है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तीखी प्रतिपरीक्षा के बावजूद इन सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से बडा की भूमिका का वर्णन किया है और स्वीकार किया है कि उसे मृतक पर हमला किया था। उच्च न्यायालय सही था कि प्राथमिकी में और जांच के दौरान पीडब्लू 1 ने कहा था कि नाना और सावा ने मृतक पर हमला किया था। एफ आई आर में दिया गया बयान एक ऐसा कारक है जो जहां तक

एफआईआर बनाने वाले के बयान का संबंध है, प्रासंगिक है। इसका अन्य गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पडता है, जिन्होंने सभी चरणों में स्पष्ट रूप से बडा द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। इसलिए केवल इसलिए केवल मात्र गवाहा पीडब्लू 1 की न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व एफआर के तथ्यों में अन्तर होने से गवाह पीडब्लू 2 व 3 के साक्ष्य पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा बडा को बरी किये जाने का निर्देश उचित नहीं था। लेकिन जहां तक सावा का संबंध है किसी भी गवाह ने उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में कोई अंकन नहीं किया है। इस प्रकार उसका दोषमुक्त सही है। उच्च न्यायालय ने विस्तृत कारणों का संकेत दिया है कि उसके अनुसार अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत दंडनीय। हम हस्तक्षेप के लिए बताए गए कारणों में कोई कमजोरी नहीं पाते है।

8. अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है कि अभियुक्त बडा की रिहाई रद्द की जाती है। और उसे नाना के मामले में धारा 304 के साथ पठित आईपीसी की धारा 34 भाग 2 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। आरोपी नाना के मामले में उसकी हिरासत लगभग छह साल थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई का निर्देश दिया था। बडा की अभिरक्षा की सजा सात साल की होगी।

9. जहां तक प्रत्यक्षी सावा का संबंध है अपील खारिज हो जाती है।

10. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

बडा की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

सावा और नाना की अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साक्षी चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।